

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय - आदेश ::

अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक-एफ.3(ए)(5)शिक्षा/प्रोफोर्मा पदोन्नति/सीटीएडी/18-19/18593 दिनांक : 28.05.18 के अनुक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा संचालित राजकीय एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल, खेरवाड़ा, उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत इस विभाग के श्री राजेन्द्र कुमार सालवी, व.अ. (विज्ञान) को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम : 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष पद पर (विषय-रसायन विज्ञान) पर लेवल-12 में वर्ष : 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने सम्बन्धी की गई अनुशंषाओं के आधार पर वर्तमान प्रतिनियुक्ति स्थान पर एतद् द्वारा प्रोफोर्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक : 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी, जिनके दिनांक : 01.06.2002 को या उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हो, तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रसायन विज्ञान/प्रोफोर्मा पदोन्नति/2018 दिनांक : 14-06-2018
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक, उदयपुर।
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, उदयपुर-प्रथम/द्वितीय।
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय — आदेश ::

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव, राईस के पत्र क्रमांक—एफ.1(A)(214)स्था./राईस/प्रति 1 वर्ष/2018/751 दिनांक : 06.06.2018 के अनुक्रम में राईस द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालय, अटरू (बारां) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत इस विभाग के श्री मुकेश कुमार मीणा, व.अ. (विज्ञान) को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम : 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष पद पर (विषय—रसायन विज्ञान) पर लेवल-12 में वर्ष : 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने सम्बन्धी की गई अनुशंषाओं के आधार पर वर्तमान प्रतिनियुक्ति स्थान पर एतद् द्वारा प्रोफोर्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक : 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी, जिनके दिनांक : 01.06.2002 को या उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हो, तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रसायन विज्ञान/प्रोफोर्मा पदोन्नति/2018 दिनांक : 14-06-2018
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव, राईस ।
3. सम्बन्धित मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक, कोटा ।
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, बारां ।
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर